झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 26 फाल्गुन 1941 (श0) को 16 मार्च, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
74	अ0सू0–39	श्री बंधु तिर्की,	नियमानुसार प्रोन्नति देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा	05.03.2020
75	अ0सू0–23	श्री प्रदीप यादव	जन आवेदनों का निष्पादन कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा	01.03.2020
76	अ0सू0–36	श्री दीपक बिरूवा,	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा	05.03.2020
77	अ0सू0–29	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	अनुमंडल पुलिस भवन निर्माण कराना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2020
78	अ0सू0–46	डॉ0 नीरा यादव,	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा	08.03.2020
79	अ0सू0–32	श्री कमलेश कुमार सिंह	फिल्म सिटी बनाना	सूचना एवं जनसम्पर्क	05.03.2020
80	अ0सू0–44	श्री इरफान अंसारी,	प्रशाखा पदा0 के पद पर प्रोन्नत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.03.2020
81	अ0सू0–33	श्री सरयू राय,	राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण।	योजना सह वित्त	05.03.2020
82	अ0सू0–37	श्री दीपक बिरूवा,	शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति करना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2020
83	अ0सू0–26	श्री आलोक कु0 चौरसिया,	नुकसान की भरपाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	01.03.2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.
84	अ0सू0–40	श्री इरफान अंसारी,	आरक्षित पदों पर प्रोन्नति देना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	06.03.2020
85	अ0सू0–43	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	अधियाचना वापस लेना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.03.2020
86	अ0सू0–19	श्री दशरथ गागराई,	अवैतनिक चौकीदारों को नियमित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29.02.2020
87	अ0सू0–15	श्री अनंत कुमार ओझा,	सेवा वापस दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	24.02.2020
88	अ0सू0–25	श्री प्रदीप यादव,	राशि की गबन की जाँच।	योजना सह–वित्त	01.03.2020
89	अ0सू–41	श्री कुशवाहा शशिभुषण मेहता,	अनुमंडल का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।	06.03.2020
90	अ0सू0–38	श्री नारायण दास,	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2020
91	अ0सू0–42	श्री सुदिव्य कुमार,	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	योजना सह–वित्त	06.03.2020
92	अ0सू0–22	श्री अनन्त कुमार ओझा,	संविदा/अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2020

राँची।
दिनांक–16 मार्च,2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020– 1015 /वि0स0,रांची,दिनांक– 13/03/2020

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान–सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2020
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्य–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–1015/वि0स0,रांची,दिनांक–13/3/20

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2020

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–1015/वि0स0,रांची,दिनांक–13/03/20

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2020

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

13/03/2020

(39) (74)

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–39 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि निदेशालय ज्ञापांक–संख्या–5/प्रशि0प्रोन्नति–71/2021–253, दिनांक 03.03.2017 के द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभागान्तर्गत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक पद से मुख्य अनुदेशक पद पर प्रोन्नति में आरक्षित सीटों पर सिर्फ सामान्य/पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को ही प्रोन्नत किया गया,	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल)–61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के विपरित प्रोन्नति में आरक्षण के अन्तर्गत रोस्टर का बहाना कर अनारक्षित सीटों पर सिर्फ सामान्य, पिछड़ी जाति के अनुदेशकों को ही प्रोन्नति दी गई है,	अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7/आ (रो0)–30/2002 का–1072 राँची, दिनांक–17.02.2009 के अनुसार राज्य में सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों पर प्रोन्नति में मात्र 36 प्रतिशत अर्थात् अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 06 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नियम विरूद्ध प्रोन्नति को रोक नियमानुसार प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति के संबंध में तय किये गये नियम के अनुसार ही विभाग द्वारा प्रोन्नति दी जाती है।

ह०/–
(कंचन अंजलि मुण्डू)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–28/2020श्र0नि0– 413 राँची दिनांक– 14/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–797, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/03/2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-28-2020.docx

अल्प 35८

5. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् 19 विभागों के कुल 316 सेवाएँ अधिसूचित है और इन सेवाओं में निर्धारित समयावधि में जन आवेदनों का निष्पादन अनिवार्य है;

(2) क्या यह बात सही है कि आये दिन इस नियम को धता बनाने के लिए कुछ त्रुटि दिखाकर जन आवेदनों को लम्बित रखा जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि कोई प्रशासनिक नियंत्रण एवं सुपरविजन की व्यवस्था न होने के कारण अबतक यह अधिनियम जनता के लिए उपयोगी और प्रभावी नहीं हो पाया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अविलम्ब प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदायी सेवाओं को नियत समय-सीमा में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान निरूपित है ।

(3) अस्वीकारात्मक । झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-6 में अपील एवं धारा-7 में दण्ड का प्रावधान निरूपित किये गये है जिसमें इनको सुपरविजन करते हुए उपयोगी एवं प्रभावी बनाया गया है ।

(4) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(76)

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न विभागों में कुल 4,73,112 स्वीकृत पद है;	विभिन्न विभागान्तर्गत स्वीकृत पद के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। चार विभागों के द्वारा स्वीकृत पद की संख्या–5632 एवं कार्यरत पद 1575 प्रतिवेदित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्त्तमान समय में इसके मुकाबले सिर्फ 1,92,035 कर्मचारी ही कार्यरत है;	यथा खण्ड 1 में वर्णित।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खाली पड़े स्वीकृत नियमित पदों पर नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा अधियाचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के उपरांत आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–04/2020 का0 1939 /राँची दिनांक– 14 मार्च, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–782 दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच0 के0 सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

77

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–16/थाना 01/2019–1114, राँची, दिनांक–26.02.2019 द्वारा विश्रामपुर में पुलिस अनुमंडल की स्वीकृति दी गई है, तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदा० की पदस्थापना की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस अनुमंडल भवन का निर्माण अब तक नहीं किया गया है, जिसके कारण पुलिस अनु० कार्यालय के संचालन में Dy.S.P. को असुविधा हो रही है ;	स्वीकारात्मक। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विश्रामपुर का कार्यालय का संचालन पूर्व में संचालित पुलिस उपाधीक्षक (मु०)–प्रथम पलामू के कार्यालय से हो रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र अनुमण्डल पुलिस भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	बजट में निधि तथा सरकारी भूमि की उपलब्धता होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में अनुमण्डल पुलिस भवन का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (अल्प०)–805/2020– 1251 / राँची, दिनांक– 14/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–775, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(78)

डॉ0 नीरा यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–46 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में घटवार/घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जो राज्य के मूल खतियानी आदिवासी है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या बात सही है कि खण्ड(01) में वर्णित जाति का जमीन भारत सरकार का विभागीय पत्रांक–5820, दिनांक–01.09.1990 घटवार/ घटवाल जाति का जमीन की खरीद–बिक्री उपायुक्त के आदेश निर्गत किए बिना नहीं हो रहा था तथा यह कानून प्रभावी 1956–57 तक बिहार राज्य में लागू था;	इस सम्बन्ध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्र के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार से पत्राचार किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित जाति का "The Bengal Ghatwali Lands Regulation 1814, Bengal Ghatwali Lands Act-1859, Chhota Nagpur Tenancy Act-1908, Census of India-1931, The Bihar Gazette-1938, A Resident of the state of Bihar belonging to any of the following tribes-1948 में उल्लेख राज्य के मूल खतियानी आदिवासी के रूप में किया गया है;	
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार घटवार/घटवाल जाति (समुदाय) के लोगों को आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	घटवार जाति राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 7 पर सूचीबद्ध है। तदनुसार घटवार जाति को राज्य में प्रभावी आरक्षण नियमों के अनुसार पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को मिलने वाला आरक्षण अनुमान्य है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–20/2020 का0–**1932**/ रांची, दिनांक **13.03.2020**

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–948 वि0स0 दिनांक–08.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

79

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–32 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में वर्ष 2010–11 से फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है ;	स्वीकारात्मक। वर्ष 2011–12 से फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
2	क्या यह बात सही है कि फिल्म सिटी बनाने की दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है;	अस्वीकारात्मक। पी०टी०पी०एस० (पतरातु थर्मल पावर कॉरपोरेशन) के लिए मौजा – टोकीसूद एवं पालू में अर्जित भूमि, जिसका उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, को फिल्म सिटी निर्माण हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया। फिल्म सिटी निर्माण हेतु उक्त चिन्हित भूमि विभाग को हस्तांतरित नहीं हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार झारखण्ड प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01 / स्था०(वि०स०)06 / 05 / 2020–सू०ज०स० 79 रांची, दिनांक 11/03/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 780, दिनांक 05.03.2020 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2020
सरकार के उप सचिव

(80)

मानननीय डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या:– अ०सू०–44 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा अन्तर्गत प्रशाखा पदाधिकारियों के लगभग 600 पद रिक्त है।	स्वीकारात्मक। झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के कुल स्वीकृत 657 पदों के विरूद्ध 57 प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत हैं। सम्प्रति 600 पद रिक्त हैं।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के 600 से अधिक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 07 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, इस प्रकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–3286 दिनांक–04.04.2014 में निर्धारित कालावधि पूर्ण करने के बावजूद उन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से वंचित रखा गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत उच्च वर्गीय लिपिक कोटि से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में प्रोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से वर्ष 2012, 2013, 2015 एवं 2016 में नियुक्तियाँ हुई हैं। तद्नुसार वर्तमान में कार्यरत 699 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की सेवा अवधि की स्थिति निम्नवत् है :– 08 (आठ) वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी — 44 07 (सात) वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी — 35 07 (सात) वर्षों से कम की सेवा पूरी करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी — 620 झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सम्वर्गीय पदों पर झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में विहित कालावधि एवं निर्धारित सेवा शर्तों के साथ राज्य सेवी सम्वर्ग के लिए प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि सम्बन्धी विभागीय संकल्प संख्या–3286 दिनांक–04.04.2014 के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या–10483 दिनांक–24.10.2014 एवं 2621 दिनांक–20.03.2015 के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त संकल्प संख्या–3286 दिनांक– 04.04.2014 का गठन केन्द्र सरकार में एतदर्थ गठित प्रावधान के तर्ज पर किया गया है तथा झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 का गठन वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–660 दिनांक–08.02.1999 में की गयी अनुशंसा के आलोक में केन्द्र के अनुरूप किया गया है। उक्त नियमावली, 2010 के नियम कंडिका–7 के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के 50% नियमित रिक्त पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा भरे जाने का प्रावधान है, जिन्होंने 08 (आठ) वर्षों से अन्यून अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली हो। शेष 50% रिक्त पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों से भरे जाने का प्रावधान है, जिन्होंने 03 (तीन) वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो तथा जो स्नातक योग्यता रखते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2016 में उक्त कालावधि विहित है। उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु विचार करने के क्रम में सिर्फ पद की उपलब्धता एवं कालावधि ही मापदण्ड नहीं है। इसके लिए अन्य वांछनीय अर्हताएँ/शर्तें पूरी की जानी भी अपेक्षित है। प्रोन्नति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करने के उपरान्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड सचिवालय सेवा के योग्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–901/2020 का० 1943/ राँची, दिनांक 14.3.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–884 दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में 250 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 14/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

(81)

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017–18 में वाणिज्यकर, खनन, निबंधन, भू–राजस्व संग्रह में क्रमशः 6.48 प्रतिशत, 12.7 प्रतिशत, 22.68 प्रतिशत एवं 35.07 प्रतिशत की कमी हुई है ?	वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 में वाणिज्यकर में 6.48 प्रतिशत की कमी है। यदि कम्पेनशन जोड़ दिया जाय तो यह 6.16 प्रतिशत की वृद्धि है। खनन् में 45.11 प्रतिशत की वृद्धि है। निबंधन में 22.68 प्रतिशत की कमी है। भू–राजस्व में 35.07 प्रतिशत की कमी है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों में आकलित बजट की राशि और वास्तविक बजट की राशि के बीच के अंतर में लगातार वृद्धि होते गई है ?	वित्तीय वर्ष 2015–16 में वार्षिक बजट 55,492.95 करोड़ रुपये के विरूद्ध व्यय 54,437.27 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2016–17 में वार्षिक बजट 63,502.69 करोड़ रुपये के विरूद्ध व्यय 59,362.67 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में वार्षिक बजट 75,673. 42 करोड़ रुपये के विरूद्ध व्यय 67,704.28 करोड़ रुपये है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजस्व संग्रह में कमी के कारण राज्य का विकास प्रभावित हुआ है। वर्ष 2014–15 में राज्य का विकास दर 12.5 प्रतिशत था। 2014–15 से 2017–18 के बीच राज्य का औसत वार्षिक विकास दर घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत हो गया। 2014–15 से 2016–17 के बीच का विकास दर तो मात्र 1.8 प्रतिशत रहा है ?	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बतलाएगी कि विगत 5 वर्षों में राजस्व के विकास दर में और राजस्व प्राप्तियों में कमी होने के कारण क्या है और इसे दूर करने के लिये सरकार कौन–सी कार्रवाई कर रही है ?	विगत 5 वर्षों में राजस्व में कमी के कारणः– • उत्पाद नीति में परिवर्तन (सरकार द्वारा शराब की बिक्री को अपने हाथ में लेने) किये जाने के फलस्वरूप राजस्व में ह्रास हुआ। नई पॉलिसी आने से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1,082.82 करोड़ रुपये के प्राप्ति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह जनवरी, 2020 तक 1,679.68 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

		• दिनांक 01.07.2017 से देश में GST लागू होने के फलस्वरूप वाणिज्य–कर में राजस्व की कमी आयी, लेकिन 14 प्रतिशत Growth मानते हुए कमी के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा Compensation दिये जाने का प्रावधान 5 वर्षों तक अर्थात् जून, 2022 तक ही किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2019–20 तक GST का सम्पूर्ण Compensation भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। साथ ही, Compensation ससमय भी नहीं दिया जा रहा है। • महिलाओं को सम्पत्ति के निबंधन में छूट दी गई, जिसके तहत सम्पत्ति के निबंधन में 50 लाख रुपये तक के मूल्य की सम्पत्ति पर महिलाओं के 1 रुपया की राशि लेने का प्रावधान किया गया, जिसके कारण भी राजस्व की लगभग 1,238 करोड़ रुपये की कमी हुई है। • खनन के क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान से लगभग 15 प्रतिशत राशि कम प्राप्त हुई। • कोयला कंपनियों के उत्पादन/निर्गमन (Production/Dispatch) में कई कारणों से कमी आयी, जैसे जमीन का मुद्दा, पर्यावरण एवं वन अनापत्ति में विलम्ब एवं CTO का मुद्दा। इसके कारण राजस्व प्राप्ति में कमी आयी। • पर्यावरण एवं वन अनापत्ति में विलम्ब, CA एवं अन्य जमीन संबंधी मुद्दों के कारण कोल ब्लॉक का भी समय से संचालन नहीं हो पाया, जिसके कारण भी खनन से राजस्व लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ। • विभिन्न न्यायालयों के लंबित/स्थगन के कारण भी बकाये मांग की भी वसूली कम रही।

		• CCL/BCCL/ECL एवं अन्य पर CB Act एवं Common Cause के तहत लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया है। राज्य सरकार के द्वारा इसे नहीं वसूला जा सका है। यह सरकार इस राशि को वसूलने के लिए कारगर कदम उठायेगी, जिससे राजस्व वसूली में व्यापक बढ़ोत्तरी हो सके। • राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि कोल एवं अन्य खनिजों के रॉयल्टी की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाय, परन्तु भारत सरकार से अबतक इसे पुनरीक्षित नहीं किया गया है। • जल संसाधन विभाग के द्वारा कई औद्योगिक घरानों को जलापूर्ति किया जाता है। इन औद्योगिक घरानों के पास जलकर का लगभग 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। सरकार इस राशि को वसूलने हेतु सार्थक कदम उठायेगी। • राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कर प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जायेगी एवं उसमें सुधार कर राजस्व वसूली की बढ़ोत्तरी की जायेगी। • राजस्व संग्रहण विभागों की Enforcement activity को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मानव एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जायेगा। • कर प्रशासन की कार्य कुशलता को भी बढ़ाकर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की जायेगी। • अन्य राज्यों की कर प्रणाली का अध्ययन कर सभी तरह के कर दरों की समीक्षा कर उसे Rationalize किया जायेगा, जिससे की कर संग्रहण में वृद्धि हो सके। • सरकार कार्यरत योजनाओं की समीक्षा करेगी एवं

		जो भी योजनायें अनुपयोगी पायी जायेंगी, उन्हें बन्द करने पर विचार किया जायेगा। • जिसके पास भी सरकारी बकाया है, उसकी प्राप्ति हेतु सरकार सभी नियमसंगत कदम उठायेगी।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि०स०(4)–12/2020/...128/वि० रॉंची, दिनांक : 13/3/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक 779/वि०स०, दिनांक 05.03.2020 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 19 वर्ष बाद भी खरसावां गोलीकांड समेत राज्य के शहीदों के आश्रितों को नौकरियों में सीधी नियुक्ति एवं सम्मानजनक पेंशन सरकार द्वारा अबतक प्रदान नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खरसावां गोलीकांड में शहीद हुये आश्रितों को चिन्हित कर सीधी नियुक्त एवं सम्मानजनक पेंशन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	I. उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खरसावां गोलीकांड में शहीदों की पहचान हेतु अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मात्र दो व्यक्तियों स्व० डोलो सोय एवं स्व० सिंगराय बोदरा की पहचान शहीद के रूप में की गई है। II. इन दोनो के आश्रितों क्रमशः श्री बिदुराम सोय एवं श्री नंदु बोदरा को एक–एक लाख रूपये का अनुग्रह–अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है। III. इन्हे सीधी नियुक्ति अथवा पेंशन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–07/2020–....1254../ राँची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–777, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(83)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

क्रं सं	प्रश्नकर्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–24.02.2020 को ओलावृष्टि एवं मुसलाधार बारिस के कारण पलामू जिला क्षेत्र बर्फ से ढ़क गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण पलामू जिला क्षेत्र के खेतों में लगे सभी फसल, जान–माल, पशु–पक्षी खपरैल व मिट्टी के मकान की भारी क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह सही है कि इस आपदा क्षेत्र में रहने वाले किसानों, गरीबों, मजदूरों आदि का भारी आर्थिक क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस क्षेत्र में हुए आपदा से नुकसान की भरपाई हेतु त्वरित आर्थिक मदद करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिला में दिनांक–25.02.2020 को ओलावृष्टि एवं मुसलाधार बारिश हुई थी। पलामू जिलान्तर्गत पाँच अंचल यथा– चैनपुर अंचल में 401 किसान, तरहसी अंचल में 133 किसान, मनातू अंचल में 30 किसान, पाटन अंचल में 32 किसान एवं नवाबाजार अंचल में 02 किसान अर्थात् कुल 598 किसानों की 190.192 हेक्टेयर भूमि पर अवस्थित फसल को 33% से अधिक की क्षति हुई है। किसानों को मुआवजा के भुगतान हेतु उपायुक्त, पलामू द्वारा 16,28,345 रूपये का आवंटन की माँग की गई है। आवंटन निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त द्वारा चैनपुर अंचल के 69 परिवारों को क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–07/2020–200/आ०प्र०, **राँची, दिनांक**– 13/03/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020

(सुनील कुमार झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–07/2020–200/आ०प्र०, **राँची, दिनांक**– 13/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–594 दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/2020

सरकार के अवर सचिव।

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि कुल दारोगा पुलिस मुख्यालय राँची ज्ञापन 1907 पी0, दिनांक–10/10/14 द्वारा 325 दारोगा के पद पर प्रोन्नति दी गई परन्तु आदिवासी दलित का एक भी पद पर प्रोन्नति नही दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि पुलिस मुख्यालय झारखण्ड के ज्ञापन 1132, दिनांक– 10/06/15 द्वारा 181 दारोगा पद पर प्रोन्नति दी गई परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को एक भी पद पर प्रोन्नति नहीं दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि पुलिस मुख्यालय झारखण्ड के ज्ञापन 1129 पी0, दिनांक–14/05/16 द्वारा 513 दारोगा पद में केवल 50 अनुसूचित जनजाति एवं 41 अनुसूचित जाति को ही प्रोन्नत किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 27 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कुल दारोगा पद पर प्रोन्नत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नही तो क्यों ?	I. वस्तुस्थिति यह है कि कंडिका–1 तथा 2 में अंकित प्रोन्नति के लिए अनुमोदित रोस्टर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए रिक्ति शून्य होने के कारण इस कोटि के कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका। II. कंडिका–3 में अंकित प्रोन्नति के लिए अनुमोदित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित 435 पदों के विरूद्ध मात्र 50 पद रिक्त थे तथा अनुसूचित जाति के लिए चिन्हित 167 पदों के विरूद्ध मात्र 41 पद ही रिक्त थे। III. वर्तमान वर्ष–2020 में पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनारक्षित कोटि में 227, अनुसूचित जाति कोटि में 36 एवं अनुसूचित जनजाति कोटि में 47 रिक्त उपलब्ध है, जिस पर प्रोन्नति की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–03/2020– 1332 / राँची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–847, दिनांक–06.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

85

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–43 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जे0पी0एस0सी0 छठी का परीक्षाफल 23 फरवरी, 2017 को प्रकाशित की गई, जिसमें आरक्षण तथा विज्ञापन के मापदण्ड का पालन नहीं किया गया;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रा0) परीक्षा, 2016 का प्रथम परीक्षाफल कोटिवार रिक्तियों के 15 गुणा (समान अंक वाले अभ्यर्थियों सहित) दिनांक 23.02.2017 को जारी किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि परीक्षाफल में अनियमितता के पश्चात् सरकार द्वारा संकल्प सं0 5562 दिनांक 19.04.2017 में 6103 तथा संकल्प पत्र सं0 1153 दिनांक 12.02.2018 द्वारा 34634 परिणाम प्रकाशित किया गया जो मा0 उच्चतम् न्यायालय में दायर वाद सं0 APL No 4255/58 के क्लाउज 20 का उल्लंघन है;	**अस्वीकारात्मक।** संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के प्रारम्भिक परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल जारी किए जाने के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल एल0पी0ए0 संख्या 399/2018 पंकज कुमार पाण्डेय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (डब्लयू0पी0 (एस0) सं0 1452/2018 से उद्भुत) में दिनांक 21.10.2019 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम पुनरीक्षित परीक्षाफल के आधार पर मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Special Leave to Appeal (C) No 726/2020 में दिनांक 10.01.2020 को पारित न्यायादेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड के परामर्शानुसार विभागीय पत्र संख्या 940 दिनांक 05.02.2020 के द्वारा एल0पी0ए0 सं0 399/2018 में दिनांक 21.10.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया गया है, जिसका साक्षात्कार भी सम्पन्न किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जे0पी0एस0सी0 छठी की परीक्षा में की गई अनियमितता के कारण अधियाचना वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–05/2020 का0 1929 /राँची दिनांक– 13 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–885 दिनांक 07.03.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच0 के0 सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

86

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला में 232 अवैतनिक चौकीदार विगत पन्द्रह वर्षों से सृजित पदों के विरुद्ध नियमित चौकीदारों की भाँति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है;	अस्वीकारात्मक। 1. सरायकेला–खरसावां जिला अंतर्गत 232 अवैतनिक चौकीदारों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकार (उपायुक्त) द्वारा नहीं की गई है। चौकीदार का पद जिलास्तरीय संवर्ग होता है एवं संबंधित उपायुक्त इनके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं। 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0–1348, दिनांक–13.02.2015 एवं 4871, दिनांक–26.06.19 (सेवा नियमितीकरण नियमावली–2015 द्वारा वैसे मामलों को ही नियमितीकरण किया जाना है, जिनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन किये की गई है। अतः इनका नियमितीकरण करना संभव नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0–4871, दिनांक–26.06.19 (सेवा नियमितीकरण नियमावली–2015 में किये गये संशोधन) में किये गये प्रावधानों के अनुसार अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कंडिका (1) में वर्णित अवैतनिक चौकीदारों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–03/2020– 1331 / राँची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–519, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(87)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार सरकार के पत्रांक–10129, दिनांक–06.10.1991, पत्रांक–11287, दिनांक–20.12.1995 तथा झारखण्ड सरकार का पत्रांक–3206, दिनांक–15.06.2002 और पत्रांक–4504, दिनांक– 21.07.2010 के आलोक में चौकीदारों की नियुक्ति हुई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित नियुक्ति को झारखण्ड सरकार के पत्रांक–3849, दिनांक–23.05.2014 में स्थगित रखा गया और नियमावली (विभागीय अधिसूचना) पत्रांक–2032, दिनांक–07.04.2015 में बनाया गया, जिसमें यह उल्लिखित है कि नियुक्ति स्वतः इस नियमावली में समायोजित समझे जायेंगे;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 (अधिसूचना सं०–2032, दिनांक–07.04.2015) में यह कही भी उल्लेखित नही कि पूर्व में की गयी सभी तरह की नियुक्तियां स्वतः इस नियमावली में समायोजित समझी जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) एवं (2) में वर्णित तथ्यों के पश्चात् झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1509, दिनांक–14.03.2016 से सभी पूर्व से नियुक्ति एवं उसी बीट पर उसी पद पर जो 5–6 वर्ष की विधिवत सेवा दे चुके थे, सेवा मुक्त कर दिया गया तथा नयी विज्ञापन प्रकाशित कर नये लोगों की नियुक्ति की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No-3457/2011 में दिनांक–19.04.2010 को यह आदेश पारित किया गया था कि चौकीदार के रिक्त पद को सेवानिवृत चौकीदार के नामित/वंशानुगत से नही भरा जा सकता है। ऐसे पद Public advertisement द्वारा भरे जायें। ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No-2072/2007 में दिनांक–17.11.2011 को यह आदेश पारित किया गया कि चौकीदार के किसी भी रिक्त पद को बिना Public advertisement के नहीं भरा जायेगा। iii) उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–1118, दिनांक–25.02.2016 द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि 17.11.2011 के बाद बिना Public advertisement के नियुक्त चौकीदारों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सेवा से मुक्त किया जाय। iv) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No-1048/2016 में दिनांक–09.03.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–1509, दिनांक–16.03.2016 द्वारा Cut off date of 17.11.2011 से बदलकर 19.04.2010 किया गया है। v) उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि इस मामले में जो भी कार्रवाई की गयी है वह माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गयी है।
4	क्या यह बात सही है कि 5–6 वर्ष सेवा दिये चौकीदारों की सेवा–पुस्तिका भी खुल चुकी है और उनका सी०पी०एफ० में भी रकम जमा की गयी है;	स्वीकारात्मक।

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित झारखण्ड सरकार के पत्र के आलोक में पुनः चौकीदारों की सेवा वापस दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	i) यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात चौकीदार के रिक्त पदों को Public advertisement के द्वारा ही भरा जा सकता है। ii) विभागीय पत्रांक–1118, दिनांक–25.02.2016 तथा पत्रांक–1509, दिनांक–16.03.2016 के फलस्वरूप सेवा से मुक्त चौकीदारों को एक बारगी उम्र में छुट देने तथा नियुक्ति में अधिमान्यता देने के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है तथा संशोधित नियमावली विभागीय पत्रांक–5382, दिनांक–09.10.2019 द्वारा सभी उपायुक्तों को भेज दी गयी है तथा दिनांक–29.01.2020 को सभी उपायुक्तों को इस संशोधित नियमावली के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। iii) सेवा विमुक्त चौकीदार अपने–अपने जिला में प्रकाशित अथवा प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के विरूद्ध Apply कर सकेगें। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उनको उम्र छुट के लाभ के साथ साथ पूर्व में की गयी नौकरी के विरूद्ध अधिमानता भी मिलेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17 / वि०स०–01 / 2020–......1334..... / रॉची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–332, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प-सूचित प्रश्न सं0-25 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2017-18 के बीच विभागों द्वारा किये गये अतिरिक्त 59 हजार करोड़ रूपये का बजट की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न होना एक बड़ी राशि के घोटाले का अंदेशा पैदा करता है ।	महालेखाकार(लि0 एवं हक0), झारखंड, राँची के प्रतिवेदनानुसार दिनांक 31.12.2019 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (वर्ष 2006-07 से 2017-18) की कुल राशि 52305.35 करोड़ रूपये है।
2.	क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी राशि का न मिलना और दूसरी ओर राज्य के ऊपर अब तक 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज होना चिंता का विषय है ।	राज्य सरकार का ऋण, महालेखाकार (लि0 एवं हक0), झारखंड, राँची के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे के प्रारूप के अनुसार 31.03.2019 तक 60,775.27 करोड़ रूपये है । यदि इसमें लोक लेखा का दायित्व भी जोड़ दिया जाय तो कुल ऋण एवं दायित्व 31.03.2019 तक 83,782.92 करोड़ रूपये है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गायब राशि को ढूंढने के लिए कठोर निर्णय एवं ऋण के बोझ को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार अपने ऋण का Maturity Profile के अनुसार ससमय भुगतान करती है । लोक लेखा को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है । लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सभी विभागों को लगातार निदेशित किया गया है एवं योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के स्तर से लगातार अनुश्रवण के फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। महालेखाकार (लि0 एवं हक0), झारखंड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 30.06.2019 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि 53386.23 करोड़ रूपये थी तथा दिनांक 31.12.2019 तक कुल राशि 52305.35 करोड़ रूपये है । महालेखाकार एवं राज्य सरकार (वित्त प्रभाग) के साथ दिनांक 06.09.2019 एवं 14.02.2020 को हुए बैठक के निर्णय के आलोक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्वरित कमी लाने हेतु Online माध्यम के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र Submit करने की व्यवस्था की गयी है । इस दिशा में हो रही कार्रवाई से इस तरह की राशि में काफी कमी की संभावना है ।

झारखण्ड सरकार
<u>योजना सह वित्त विभाग</u>

ज्ञाप सं0:- 10/वि0स0(4) 09/2020 ...743/वि0.... राँची दिनांक :- 13/03/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 593 वि0स0 दिनांक 01.03.2020 के आलोक में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.03.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

(89)

माननीय स०वि०स० श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता द्वारा दिनांक 16.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–41 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अंतर्गत पलामू सदर अनुमंडल के पांकी प्रखण्ड की आबादी ढाई लाख है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2911 की जनगणना के अनुसार पांकी प्रखण्ड की जनसंख्या–1,57,850 है।
2.	क्या यह बात सही है, कि पांकी प्रखण्ड के सुदूरवर्ती केकारगढ़ पंचायत, गोईंदी पंचायत की दूरी अनुमंडल मुख्यालय से लगभग 70–72 किलोमीटर है;	अस्वीकारात्मक। पांकी प्रखण्ड के केकारगढ़ पंचायत की दूरी अनुमण्डल मुख्यालय से 65 कि०मी० है एवं तरहसी प्रखण्ड के गोईंदी पंचायत की दूरी अनुमण्डल मुख्यालय से लगभग 65 कि०मी० है।
3.	क्या यह बात सही है, कि अनुमंडल मुख्यालय से अत्यधिक दूरी रहने की वजह से सरकारी कामकाज में असुविधा होती है, वहीं ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे है;	अस्वीकारात्मक। अनुमण्डल कार्यालय सदर मेदिनीनगर से पांकी प्रखण्ड की दूरी 50 कि०मी० है। ग्रामीणों का कार्य अनुमण्डल कार्यालय सदर मेदिनीनगर से सम्पन्न की जाती है।
4.	क्या यह बात सही है, कि पांकी मनातू एवं तरहसी प्रखण्डों को मिलाकर पांकी को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु आयुक्त, पलामू प्रमंडल तथा उपायुक्त, पलामू द्वारा मार्च, 2018 में ही अधियाचना भेजी गई है, जिस पर विभागीय स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रशासनिक इकाईयों (अनुमण्डल आदि) के सृजन/पुनर्गठन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल के सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है। पलामू जिलान्तर्गत **'मनातु'**, **'तरहसी'** एवं **'पांकी'** प्रखण्ड को मिलाकर **'पांकी'** को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के माध्यम से उपायुक्त, पलामू का अनुशंसा जनवरी, 2019 में प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् **'पांकी'** को अनुमण्डल का दर्जा देने के बिन्दु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पांकी प्रखण्ड को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–08/2020 का.–1942 राँची, दिनांक– 14.3.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–844 दिनांक–06.03.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2020

(एच० के० सुधांशु)
सरकार के अवर सचिव।

संविदा/अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करना ।

92. श्री अनन्त कुमार ओझा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के अधीन संविदा/अनुबंध पर 10 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित किया जाना विचाराधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-1348, दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा संशोधित अधिसूचना सं०-4871, दिनांक 20 जून, 2019 के आलोक में राज्य अधीनस्थ सभी विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत रहे संविदा कर्मियों की सेवा नियमित कर दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा/अनुबंध कर्मियों की लोकहित में सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1348 दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार वाद में संसूचित न्यायनिर्णय के आलोक में राज्यान्तर्गत सृजित पदों के विरूद्ध अनियमित रूप से नियुक्त एवं 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 अधिसूचित की गयी है;

(2) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-4871 दिनांक 20 जून, 2019 द्वारा Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [arising out of S.L.P. (Civil) No.-19832-19838/2017] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 में 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना हेतु निर्धारित कट-ऑफ-डेट (10 अप्रैल, 2006) को संशोधित करते हुए 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना नई अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि (दिनांक 20 जून, 2019) निर्धारित किया गया है ।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-1348, दिनांक 13 फरवरी, 2015 तथा संशोधित अधिसूचना सं०-4871, दिनांक 20 जून, 2019 के द्वारा अधिसूचित सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में संबंधित प्राधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ सृजित पद के विरूद्ध अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जानी है ।

(4) सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों से आच्छादित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश विभागीय पत्रांक-5535 दिनांक 12 जुलाई, 2019 द्वारा सभी सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है ।

(5) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।